निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 732) पटना, बुधवार, 26 जून 2019

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

25 जून 2019

सं० वन भूमि:75/2018 **747(ई०)**/ प०व०—वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्राप्त राशियों से गठित निधि के प्रबंधन हेतु, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (Compensatory Afforestation Fund Act, 2016) के अन्तर्गत बनायी गई प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018, दिनांक 30 सितम्बर, 2018 की तिथि से प्रवृत है।

उक्त अधिनियम, 2016 के आलोक में भारत सरकार; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा ''बिहार प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण'' के संरचना हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को अधिसूचना निर्गत की गई है जो दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से प्रभावी की गयी है।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38वाँ) की धारा 4 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, बिहार के लोक–लेखा के ब्याज उपार्जित करने वाले खण्ड के अन्तर्गत **''मुख्य–शीर्ष 8121–साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियाँ''** के नीचे एक विशिष्ठ–लघु–शीर्ष 129–राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (स्टेट कम्पनसैटरी एफोरेस्टेशन फण्ड) के अन्तर्गत एक **''विशेष निधि''** के रूप में संदर्भित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि **(STATE COMPENSATORY AFFORESTATION FUND [SCAF])** का गठन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या–1386 (ई.), दिनांक 27.12.2018 द्वारा किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के साथ भेजी गयी स्थल विशिष्ट योजनाएं यथा क्षतिपूरक वनरोपण/अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण/दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण/कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान आदि का क्रियान्वयन सम्बन्धित स्थल पर, राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (SCAF), बिहार में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशि का व्यय उक्त नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

राज्य निधि में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का व्यय उक्त नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा–

(i) राज्य निधि से अंतरित ब्याज के 60 प्रतिशत और नियम 5 (1) में निर्दिष्ट राज्य निधि में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का व्यय वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(ii) राज्य निधि से अंतरित ब्याज के 40 प्रतिशत और राज्य निधि में उपलब्ध राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का व्यय राज्य प्राधिकरण के आवर्त्ती एवं अनावर्त्ती व्यय के लिए विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(क) राज्य प्राधिकरण के अन्तर्गत शासी निकाय (Governing Body), संचालन समिति (Steering Comittee) एवं कार्यकारी समिति (Executive Comittee) का गठन–

अधिनियम की धारा 4 (2) के अनुसार राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा राज्य प्राधिकरण, इस निधि का प्रबंधन करेगा। अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार बिहार राज्य कैम्पा में पूर्व से उपलब्ध अव्यवहृत राशि तथा भविष्य में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त होने वाली विभिन्न राशियों को राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि, बिहार में जमा किया जायेगा। अधिनियम की धारा 4 (5) के अनुसार लोक लेखा अन्तर्गत सृजित राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा राशि पर ब्याज देय होगा। अधिनियम की धारा 4 (6) के अनुसार उक्त राज्य निधि का बैलेंस अव्यपगतीय (Non-Lapsable) होगा तथा शेष धनराशियों पर लागू ब्याज का दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर घोषित दर के अनुसार होगा।

राज्य प्राधिकरण के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक शासी निकाय (Governing Body) गठित होगा। अधिनियम की धारा 11 के अनुसार शासी निकाय को सहयोग प्रदान करने के लिए संचालन समिति (Steering Committee) तथा कार्यकारी समिति (Executive Committee) का गठन किया जायेगा। तदालोक में विभिन्न निकायों का गठन निम्नवत् किया जायेगाः–

1. शासी निकाय (Governing Body):

i.	मुख्यमंत्री, बिहार	पदेन अध्यक्ष
ii.	मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार	पदेन सदस्य
iii.	मुख्य सचिव, बिहार	पदेन सदस्य
iv.	प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य–सचिव
v.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
vi.	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
vii.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
viii.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
ix.	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
x.	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xi.	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xii.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xiii.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख), बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xiv.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार	पदेन सदस्य

2. संचालन समिति (Steering Committee):

i.	मुख्य सचिव, बिहार	पदेन अध्यक्ष
ii.	प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
iii.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
iv.	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
v.	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
vi.	प्रधान सचिव, राजस्व विभाग , बिहार, पटना	पदेन सदस्य
vii.	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य

viii.	प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
ix.	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
x.	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xi.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख), बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xii.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी, प्रतिपालक, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xiii.	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना	पदेन सदस्य
xiv.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के कार्यालय प्रमुख	पदेन सदस्य
xv.	नोडल पदाधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	पदेन सदस्य
xvi.	अनुसूचित जनजाति संबंधी मामलों के विशेषज्ञ अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।	गैर सरकारी सदस्य
xvii.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य प्राधिकार	सदस्य–सचिव

3. कार्यकारी समिति (Executive Committee):

i.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख), बिहार, पटना	पदेन अध्यक्ष
ii.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
iii.	निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	पदेन सदस्य
iv.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार	पदेन सदस्य
v.	नोडल पदाधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	पदेन सदस्य
vi.	प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मनोनित प्रतिनिधि (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, वित्त, योजना एवं विकास, ग्रामीण विकास, राजस्व, कृषि, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पंचायती राज, विज्ञान एवं प्रावैधिकी) (कुल–9 सदस्य)	पदेन सदस्य
vii.	वित्त विभाग द्वारा मनोनीत वित्त नियंत्रक/वित्त सलाहकार	पदेन सदस्य
viii.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर सरकारी संगठन	सदस्य
ix.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिलास्तरीय पंचायती राज संस्थानों के दो प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
x.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति के विशेषज्ञ या अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	पदेन सदस्य
xi.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राज्य प्राधिकरण	सदस्य–सचिव

(ख) विभिन्न समितियों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया–नियमावली के नियम 16 के अनुसार विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्यों की निम्नवत् योग्यता होगीः–

(i) वे भारत के नागरिक होंगे।

(ii) वे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी होंगे।

(iii) उन्हें केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठन, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से संबद्ध क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव प्राप्त होगा।

(iv) वे किसी गैर सरकारी संगठन का सदस्य अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे।

राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों के चयन के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, विभिन्न विभागों से नामांकन प्राप्त करेगा। उक्त के संबंध में चयन संबंधी निर्णय, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों के पैनल को तैयार करने के लिये नियमावली के नियम 17(2) के अनुरुप चयन समिति निम्नवत् होगी :–

i.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	पदेन सदस्य
iii.	राज्य सरकार द्वारा नामित एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव	पदेन सदस्य
iv.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का अध्यक्ष)	पदेन सदस्य
v.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार	पदेन सदस्य
vi.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के कार्यालय प्रमुख	पदेन सदस्य
vii.	राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य–सचिव

विभिन्न समितियों के गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्त्त अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत यथा निर्देशित/यथानिर्धारित होगी। सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगा। नियमावली के नियम 18 के अनुरूप विभिन्न समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को निम्न कारणों से अपात्र माना जायेगा :–

(i) जो ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है और जिसे कैद की सजा हुई है जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, यथास्थिति, नैतिक अधमता शामिल है, अथवा;

(ii) अमुक्त दिवालिया हैं, अथवा;

(iii) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा;

(iv) सरकारी अथवा सरकार के अधिकार में अन्य संगठन या उपक्रम की सेवा से निकाला गया हो, अथवा पदच्युत कर दिया गया हो, अथवा;

(v) जिसका, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की राज्य में यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित हो, जिससे एक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य प्रभावित होने की संभावना हो, अथवा;

(vi) इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई निकासी का आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उस दोष के लिए कारण बताओ नोटिस का उपयुक्त अवसर न दिया गया हो।

(vii) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के अंतर्गत हटाया गया सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामांकन का पात्र नहीं होगा।

(viii) यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण का गैर सरकारी सदस्य नियम (1) में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी एक का भी पात्र हो जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा।

(ग) विभिन्न निकायों के कार्य–

राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय के निम्नलिखित कार्य होंगे (अधिनियम की धारा 17 द्रष्टव्य)–

i. समय–समय पर केन्द्र द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप राज्य प्राधिकरण के कार्य सम्पादन हेतु नीति निर्धारण।

ii. राज्य प्राधिकरण के कार्य–कलापों की समय–समय पर समीक्षा।
शासी निकाय की बैठक छः माह में एक बार की जायेगी।

राज्य प्राधिकरण के संचालन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे (अधिनियम की धारा 18 के द्रष्टव्य)–

i. कार्यकारी समिति द्वारा पारित वार्षिक कार्य योजना का पुनरीक्षण एवं अनुमोदन।

ii. विमुक्त निधियों की उपयोगिता की प्रगति की समीक्षा।

iii. कार्यकारी समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों की समीक्षा।

iv. राज्य प्राधिकरण में पदों की सृजन हेतु कार्यकारी समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन।

v. राज्य प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन।

vi. अन्तर विभागीय समन्यवय।

vii. संचालन समिति की हर तीन माह में बैठक आयोजित की जायेगी।

कार्यकारी समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे (अधिनियम की धारा 19 द्रष्टव्य)–

i. राज्य प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना का संधारण एवं समर्पण।

ii. विभिन्न कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

iii. राज्य वनरोपण निधि में उपलब्ध अधिक राशि का निवेश।

iv. लेखा पुस्तिकाओं एवं अन्य अभिलेखों का संधारण।
v. संचालन समिति को प्रतिवेदनों का प्रेषण।
vi. राज्य प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
vii. राज्य प्राधिकरण में/के पदों पर संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी का अभिनियोजन।
viii. राज्य प्राधिकरण के लिए पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति हेतु प्रेषण।
ix. वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
x. राज्य प्राधिकरण के दैनन्दिन कार्यों के सम्पादन का अनुश्रवण।
xi. राज्य प्राधिकरण के कार्य कलापों का जन सूचना माध्यमों में सम्प्रेषण।
xii. राज्य सरकार/शासी निकाय/संचालन समिति द्वारा दिये गये कार्यों का सम्पादन।

कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार आयोजित की जायेगी।

राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति की बैठक सदस्य–सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से निर्धारित तिथि एवं स्थल पर आयोजित की जायेगी। प्रत्येक बैठक हेतु सामान्यतः पाँच दिन की अग्रिम सूचना सभी सदस्यों को दी जायेगी। लेकिन विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से अल्प सूचना पर भी बैठक का आयोजन किया जा सकेगा।

प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष सहित कम–से–कम पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि किसी बैठक में, बैठक प्रारंभ होने के तीस मिनट के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता है तो अगले सप्ताह को उसी दिन, समय एवं स्थल पर उपस्थित सदस्यों को कोरम माना जायेगा। बैठक में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय लिये जायेगें। राज्य प्राधिकरण के विभिन्न निकायों की बैठकों में सामान्यतः अध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरीयतम सदस्य या सहमति से अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(घ) **राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य पदों का गठन।**–नियमावली के नियम 9 के अनुरूप, राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद, जो कि अधिनियम के तहत एक Statutory पद होगा, पर मुख्य वन संरक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को अधिनियम की धारा–10(7) के तहत् राज्य सरकार के द्वारा पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

अधिनियम की धारा 11(4) एवं नियमावली के नियम 10 के अनुरूप, राज्य प्राधिकरण पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (वन संरक्षक से अन्यून स्तर), वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा पदाधिकारी तथा उपमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (उप वन संरक्षक से अन्यून स्तर) के पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा। अधिनियम की धारा 11 (5) के अनुरूप राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय के द्वारा राज्य सरकार की पूर्व सहमति से राज्य प्राधिकरण में संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति को सहयोग देने हेतु सहायक वन संरक्षक आदि के पद सृजित कर सकती है, जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा।

राज्य प्राधिकरण में पदस्थापित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों को नियमावली के नियम–11 के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे। अन्य पदाधिकारियों को नियमावली के नियम–12 के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे। नियमावली के नियम 13 के अनुसार संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों को संविदा शर्त्तों के अनुसार वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे।

नियमावली के नियम 14 के अनुसार राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क एवं भत्ते ब्याज की राशि से दिये जायेंगे।

अधिनियम की धारा–31(2)(i) के अंतर्गत– राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख से ही, दिनांक 02 जुलाई, 2009 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन में राज्य में गठित राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की सभी आस्तियों और दायित्वों (उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं या किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले या बातें) राज्य प्राधिकरण में अंतरित और उसमें निहित हो जायेंगे।

(च) **राज्य प्राधिकरण की वार्षिक बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी प्रक्रिया।**–नियम 35 के अनुरूप राज्य प्राधिकरण द्वारा General Financial Rules 2017 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य के वित्तीय अनुदेशों एवं प्रक्रियाओं को अंगीकार करते हुए प्राधिकरण का बजट तैयार किया जायेगा।

अधिनियम की धारा–25 एवं नियम 36 के अनुरूप राज्य प्राधिकरण के द्वारा प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाते हुए तथा अनुमोदित **वार्षिक कार्य योजना** पर आधारित, प्रपत्र–6 में अगले वित्तीय वर्ष का

बजट तैयार किया जायेगा तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक समर्पित किया जायेगा।

अधिनियम की धारा–27 के अनुरूप राज्य प्राधिकरण के द्वारा नियम 37 के अनुरूप प्रपत्र–7 में **मासिक लेखा का संधारण** किया जायेगा तथा प्रपत्र–8 में **भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की मासिक विवरणी** तैयार की जायेगी। प्रपत्र–9 में राज्य प्राधिकरण की **वार्षिक लेखा विवरणी** तैयार की जायेगी। राज्य प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न अभिलेखों तथा लेखा का संधारण प्रपत्र 10 के अनुसार किया जायेगा। अधिनियम की धारा–28 एवं नियम 38 के अनुरूप राज्य प्राधिकरण के द्वारा वर्ष भर में की गयी विभिन्न क्रियाकलापों को संकलित करते हुए **वार्षिक प्रतिवेदन** संधारित किया जायेगा। वार्षिक प्रतिवेदन में वनरोपण एवं संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्यों का स्थान, क्षेत्रफल तथा वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि का समावेश किया जायेगा तथा प्रपत्र–11 में विवरणी अंकित की जायेगी।

अधिनियम की धारा–27 के अनुरूप महालेखाकार के द्वारा समय–समय पर राज्य प्राधिकरण के लेखा का अंकेक्षण किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार द्वारा सत्यापित राज्य प्राधिकरण के लेखा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को वार्षिक रूप से राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार के द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी होने के छः माह के अन्दर एड–हॉक कैम्पा से राज्य कैम्पा को प्राप्त सभी धन–राशियों का अंकेक्षण किया जायेगा तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार को, महालेखाकार, बिहार के माध्यम से राज्य क्षतिपूरक वनरोपण निधि का विशेष अंकेक्षण या परफॉरमेंस ऑडिट कराने का अधिकार होगा।

अधिनियम की धारा–29 के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन, कृत कार्रवाई तथा सुझाव सहित, विधान सभा के दोनों सदनों के पटल पर रखा जायेगा।

(छ) प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त होने वाली विभिन्न राशियों के लिए लघु शीर्ष का निर्धारण–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा सी.ए.जी. से विमर्श करने के उपरांत दिनांक 20 नवम्बर, 2018 को अंतिम लेखाकरण प्रक्रिया से संबंधित अधिसूचना निर्गत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F. No. 11-100/2015-FC (Vol-III) दिनांक 27.11.2018 के द्वारा सभी राज्य सरकारों को अधिसूचित लेखा करण प्रक्रिया के अनुरूप, मुख्य शीर्ष 2406, 8121, 8336 के अन्तर्गत मानक एवं समान लघु शीर्ष खोलने हेतु निर्देशित किया गया है
2. ''राज्य सरकारों द्वारा प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्त धनराशियों को राज्य के लोक लेखा में 'मुख्य शीर्ष 8336–सिविल जमा' के नीचे लघु शीर्ष 103–State Compensatory Afforestation Deposit में जमा किया जायेगा परन्तु इस लघु शीर्ष को विभिन्न कार्य कलापों के लिये उपशीर्ष में विभाजित किया जा सकेगा।
3. तद्परान्त 90 प्रतिशत प्राप्तियों को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121–साधारण और अन्य आरक्षित निधि के अधीन लघु शीर्ष–129– 'राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि' में अंतरित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत उपशीर्ष स्तर पर ब्यौरा रखा एवं प्रदान किया जायेगा।
4. मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी और वन्यजीव, उपमुख्य शीर्ष–04– वनीकरण और पारि–विकास, 103 State Compensatory Afforestation के अन्तर्गत राशि के व्यय हेतु राज्य स्तर से उपशीर्षों को गठित किया जायेगा।
5. शेष 10 प्रतिशत धनराशि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा–(4) के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर राष्ट्रीय निधि 8121–128–में जमा की जायेगी। केन्द्रीय अंशदान की 10 प्रतिशत धनराशि को प्रति मासिक आधार पर जमा करना सुनिश्चित किया जाना वांछनीय है ताकि उसी को राष्ट्रीय निधि में अंतरित किया जा सके''।
6. 8336 – सिविल जमा' के अधीन State Compensatory Afforestation Deposit और '8121 – साधारण और अन्य आरक्षित निधियां' के अधीन, 'राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि' के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धन राशियों पर लागू ब्याज दर केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर घोषित दर के अनुसार होगा।

(ज) राज्य प्राधिकरण के कार्यों का संचालन–

1. राज्य प्राधिकरण के द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जायेगी। इसे कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति से अनुमोदन के उपरांत राष्ट्रीय प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा।
2. राष्ट्रीय प्राधिकरण से स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित राशि के लिए, मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी और वन्यजीव, उपमुख्य शीर्ष–04–वनीकरण और पारि–विकास, 103 – State Compensatory Afforestation के अन्तर्गत बजट उपबंध करने हेतु प्रस्ताव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को प्रेषित किया जायेगा। बजट उपबंध पर राज्य विधान सभा की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

3. बजट उपबंध के अन्तर्गत योजना को राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिसके उपरांत ही निर्धारित राशि को विभिन्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा व्यय किया जा सकेगा। राज्य सरकार के द्वारा उक्त निर्धारित लेखा शीर्षों से राशि व्यय करने हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को चिन्हित किया जायेगा। प्राधिकरण के मुख्यालय हेतु व्यय के लिए राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा, जिनके माध्यम से राज्य प्राधिकरण मुख्यालय का व्यय, ब्याज की राशि से किया जायेगा।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी उक्त लेखा शीर्ष के अन्तर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कार्य करेंगे। उनके द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर व्यय किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा विभाग में प्रचलित डबल इंट्री सिस्टम के द्वारा रोकड़ बही संधारित की जायेगी तथा मासिक लेखा का प्रेषण महालेखाकार, बिहार को किया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित वन संरक्षक एवं राज्य प्राधिकरण को दी जायेगी।

5. राज्य प्राधिकरण के द्वारा अनिवार्य आवश्कताओं हेतु, विशेष परिस्थिति में, राज्य निधि से राशि लेने हेतु अनुपूरक बजट/आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव देने की कार्रवाई की जा सकेगी। चूँकि यह निधि, राज्य प्रतिकरात्क वनरोपण निधि, बिहार में पूर्व से ही संचित रहेगी, अतएव राज्य के बजट पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

6. राज्य प्राधिकरण में मुख्य वन संरक्षक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रुप में पदस्थापित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (वन संरक्षक से अन्यून स्तर), **वित्तीय सलाहकार** एवं **मुख्य लेखा पदाधिकारी** के पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है, जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

7. वित्त विभाग, बिहार के नामित पदाधिकारी के द्वारा राज्य की समेकित निधि के तहत् संबंधी प्रकार्यात्मक शीर्ष को Debit किया जाएगा और तद्पश्चात कटौती वसूलियों के रूप में, राज्य प्रतिकरात्क वनरोपण निधि के साथ नियमित अंतरालों में लेखाकरण समायोजित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि व्यय राज्य निधि से समायोजित किया गया है और लोक लेखा के ब्याज देने वाले एवं अव्यपगतीय (Non-Lapsable) राज्य निधि में अवशेष राशि सुरक्षित है।

8. वित्त विभाग के नामित पदाधिकारी द्वारा राज्य निधि से प्रतिपूर्त्ति हेतु लेखा बही में लेखाकरण प्रक्रिया के अनुरूप प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 732-571+10 **डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in